



आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/विविध/199/11/2023
IRDAI/INT/ORD/MISC/199/11/2023

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के साथ पठित
आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39 के अंतर्गत
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश

ORDER of Insurance Regulatory and Development Authority of India
under Regulation 39 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 read with
Section 102 of the Insurance Act, 1938

मेसर्स सेंटकार्ट इश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निम्नलिखित के आधार पर
In the matter of M/s. Centcart Insurance Broking Services Private Limited Based
on the

(क) कारण बताओ नोटिस (एससीएन) संदर्भ सं. आईआरडीएआई/डीबी 492/11/एससीएन-2021
दिनांक 7 अक्टूबर 2021

(a) Show Cause Notice (SCN) Ref No: IRDAI/DB 492/11/SCN-2021 dated 7th
October, 2021

(ख) पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2021 के द्वारा उपर्युक्त एससीएन के लिए सेंटकार्ट इश्योरेंस ब्रोकिंग
सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (सीआईबीएसपीएल) का उत्तर

(b) Response of Centcart Insurance Broking Services Private Limited (CIBSPL) to
the aforesaid SCN vide letter dated 15th October, 2021

(ग) सदस्य (वितरण) के द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के
कार्यालय में 17 नवंबर 2021 को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये प्रदत्त वैयक्तिक सुनवाई के दौरान
सीआईबीएसपीएल द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण।

(c) Submissions made by CIBSPL during personal hearing granted by Member
(Distribution) through video conferencing on 17th November, 2021 at the office of
Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad

1. पृष्ठभूमि / Background:

1.1. मेसर्स सेंटकार्ट इश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि. (इस आदेश में इसके बाद "दलाल/
सीआईबीएसपीएल" के रूप में उल्लिखित) एक प्रत्यक्ष दलाल (जीवन और साधारण) ने भारतीय बीमा
विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद प्राधिकरण/आईआरडीएआई) के रूप
में उल्लिखित) को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का नवीकरण 31.07.2021 से 30.07.2024
तक की अवधि के लिए करने हेतु एक आवेदन 30 जून 2021 को प्रस्तुत किया।

M/s Centcart Insurance Broking Services Pvt Ltd, (hereinafter referred to as the
"Broker/ CIBSPL") a Direct Broker (Life & General) submitted an application to the
Insurance Regulatory and Development Authority of India (hereinafter referred to as



the Authority/IRDAI) for renewal of its certificate of registration (CoR) on 30th June, 2021 for the period 31.07.2021 to 30.07.2024.

- 1.2. नवीकरण के लिए आवेदन की जाँच करते समय यह पाया गया कि उक्त दलाल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दूसरी छमाही की विवरणियाँ, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली और दूसरी छमाही विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं कीं। चूँकि यह आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 (इस आदेश में इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में उल्लिखित) के विनियम 39(1) का अनुपालन नहीं करता, अतः दलाल से संदेश दिनांक 23 जुलाई 2021 के द्वारा कहा गया कि पूर्वोक्त विनियम का अनुपालन न करने का कारण स्पष्ट करें तथा आवेदन के आगे के प्रसंस्करण के लिए सभी लंबित विवरणियाँ बीएपी माड्यूल में तत्काल फाइल करें।

While examining the renewal application, it was observed that the Broker did not file second Half-Yearly returns for FY 2019-20, first and second Half-Yearly returns for FY 2020-21. As the same is not in compliance with Regulation 39 (1) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as said regulations), the Broker was asked to clarify vide communication dated 23rd July, 2021, the reason for non-compliance with aforesaid regulation and file all pending returns in BAP module immediately for further processing the application.

- 1.3. इसके उत्तर में दलाल ने 28 जुलाई 2021 को प्रस्तुत किया कि सभी लंबित विवरणियाँ बीएपी में अपलोड की गई हैं। दलाल ने स्पष्ट किया कि तकनीकी कारण से लंबित विवरणियाँ समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकीं।

In response, the Broker on 28th July, 2021 submitted that all pending returns were uploaded in BAP. The Broker explained that due to technical reason, the pending returns could not be submitted on time.

- 1.4. तथापि, विशिष्ट प्रलेख पहचान संख्या (यूडीआईएन) और एक प्रमाणपत्र संख्या के संबंध में विसंगतियाँ दलाल के द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और उत्तरों में पाई गईं। अतः पत्र दिनांक 30 जुलाई 2021 के अनुसार दलाल से अतिरिक्त सूचना / दस्तावेज / स्पष्टीकरण / डेटा की माँग की गई। दलाल ने इसका उत्तर पत्र दिनांक 5 अगस्त 2021 के द्वारा दिया।

However, discrepancies in respect of Unique Document Identification Number (UDIN) and certificate number were observed in the returns and response submitted by the Broker. Hence, additional information / documents / explanations / data were sought from the Broker vide letter dated 30th July, 2021. The Broker responded vide letter dated 5th August, 2021.

- 1.5. यह पाया गया कि बीएपी में आवधिक विवरणियों के संबंध में फाइल की गई / अपलोड की गई प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियों में पत्र-शीर्ष (लेटरहेड) और हस्ताक्षर के अंश हेर-फेर किये गये रूप में प्रतीत हुए तथा इस कारण से उक्त दस्तावेजों की सदाशयता स्पष्ट नहीं थीं। अतः प्राधिकरण ने संदेश दिनांक 10 अगस्त





2021 और पत्र दिनांक 27 अगस्त 2021 के द्वारा दलाल से इस संबंध में स्पष्टीकरण / व्याख्या की माँग की।

It was observed that the letterhead and the signature portion in the certificate copies filed /uploaded in respect of periodic returns in BAP appeared as tampered and, hence, the bonafides of the documents were not clear. Therefore, the Authority vide communication dated 10th August, 2021 and letter dated 27th August, 2021 sought clarification / explanation from the Broker.

1.6. दलाल ने दिनांक 12 अगस्त 2021 और 13 सितंबर 2021 के उत्तर में इस त्रुटि को स्वीकार किया कि फाइल की गई प्रमाणपत्र की प्रतियाँ कंपनी के सनदी लेखाकार (सीए) से प्राप्त प्रामाणिक दस्तावेज नहीं हैं।

The Broker in response dated 12th August 2021 and 13th September, 2021, admitted the mistake that the certificate copies filed are not authentic documents from the Chartered Accountant (CA) of the Company.

1.7. उपर्युक्त के आधार पर, दलाल को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 अक्टूबर 2021 जारी किया गया। सीआईबीएसपीएल ने दिनांक 15 अक्टूबर 2021 के पत्र के द्वारा उक्त एससीएन में विनिर्दिष्ट आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के उल्लंघनों पर अपना उत्तर प्रस्तुत किया।

Based on the above, a Show Cause Notice dated 7th October, 2021 was issued to the Broker. CIBSPL vide letter dated 15th October, 2021 submitted response on the violations of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 specified in the SCN.

1.8. सीआईबीएसपीएल को एक वैयक्तिक सुनवाई का अवसर 17 नवंबर, 2021 को श्रीमती एस.एन. राजेस्वरी, सदस्य (वितरण) की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदान किया गया। दलाल की ओर से श्री वरुण पांडे, प्रधान अधिकारी और निदेशक तथा श्री ब्रिजेश परनामी, निदेशक उक्त सुनवाई में उपस्थित हुए। आईआरडीएआई से दलाल विभाग के श्री रणदीप सिंह जगपाल, मुख्य महाप्रबंधक, श्री मोहम्मद अयाज, सहायक महाप्रबंधक और श्री सुमनदीप घोष, सहायक उक्त सुनवाई में उपस्थित रहे।

A personal hearing was granted to CIBSPL on 17th November, 2021 through video conference presided by Member (Distribution), Smt. S. N. Rajeswari. On behalf of the Broker, Mr. Varun Pandey, Principal Officer & Director and Mr. Brijesh Parnami, Director attended the hearing. From IRDAI, Mr. Randip Singh Jagpal, CGM, Mr. Mohammad Ayaz, AGM and Mr. Sumandeep Ghosh, Assistant of Brokers Department attended the hearing.

1.9. एससीएन दिनांक 7 अक्टूबर 2021 में दलाल के विरुद्ध लगाए गये आरोपों, एससीएन के उत्तर में दलाल के दिनांक 15 अक्टूबर 2021 के प्रस्तुतीकरणों तथा दिनांक 17 नवंबर 2021 को वैयक्तिक सुनवाई के दौरान सीआईबीएसपीएल के प्रस्तुतीकरणों की जाँच नीचे दिये गये निर्णयों तक पहुँचने में की गई है।



The charges framed against the Broker in the SCN dated 7th October, 2021, submissions of the Broker dated 15th October, 2021 in reply to SCN and CIBSPL Submissions during personal hearing dated 17th November, 2021 have been examined in arriving at the decisions given below.

2. आरोप / Charge 1:

आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39(1) का उल्लंघन

Violation of Reg. 39(1) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018:

2.1 आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 का विनियम 39(1) यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाता है कि प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल से पहले प्राधिकरण को उपर्युक्त विनियमों के अनुबंध I-ए, अनुबंध I-बी, अनुबंध I-सी और अनुबंध I-डी के अनुसार लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

Regulation 39(1) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, mandates that every insurance broker shall before 31st October and 30th April each year furnish to the Authority the certificates duly certified by the auditor as per Annexure I-A, Annexure I-B, Annexure I-C and Annexure I-D of said Regulations.

2.2 दलाल ने उक्त प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही से वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही तक उपर्युक्त अनुबंधों के अनुसार लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रमाणपत्र फाइल नहीं किये।

The Broker did not file the certificates duly certified by the auditor as per the above Annexures from second half year of FY 2019-20 till second half year of FY 2020-21.

दलाल के प्रस्तुतीकरण / Submissions of the Broker:

2.3 सीआईबीएसपीएल ने प्रस्तुत किया कि उनके एक कर्मचारी को आईआरडीएआई से संबंधित पत्र-व्यवहार को निष्पादित करने का कार्य सांपा गया था। महामारी और परवर्ती लाकडाउन के कारण कर्मचारियों को घर से कार्य करने का विकल्प दिया गया। जबकि उनमें से कइयों ने अपने मुख्य परिणाम क्षेत्रों का वितरण कर्मठता से किया, वहीं अन्य कर्मचारियों ने इस छूट का उपयोग करते हुए प्रत्याशित स्तरों तक अपनी कर्मठता नहीं दर्शाई। उनके एक कर्मचारी ने प्रबंधन को बीएपी के बारे में झूठ कहा कि बीएपी सारा समय कार्य नहीं कर रहा है तथा इसके लिए साक्ष्य साझा करने के लिए कहने पर उसने बीएपी में उक्त त्रुटि के स्क्रीन शाट प्रस्तुत किये, एवं यह कि बीएपी पर जो विवरणियाँ प्रस्तुत की थीं, इस संबंध में उक्त कर्मचारी ने जाली दस्तावेज अपलोड किये, जिसके बारे में सनदी लेखाकार (सीए) एवं सेंटकार्ट का प्रबंध अनभिज्ञ थे। उनके भूतपूर्व कर्मचारी की गलती का पता चलने पर अब सही स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये गये हैं। तदुपरांत बीएपी में छमाही विवरणियाँ अपलोड की गई हैं।

CIBSPL submitted that one of its employee was entrusted with the task of executing IRDAI related correspondence. Due to pandemic and subsequent lockdown, employees were provided with the option of working from home. While many of them





disbursed their key result areas diligently others took the liberty and did not show their diligence to the expected levels. One of its employee lied to the management about BAP not working all the time and also when asked to share the evidence he submitted the screen shots of the error in BAP and that he had submitted the returns on BAP, the employee uploaded forged documents which the Chartered Accountant, Management of Centcart was unaware of. On realizing the blunder of their ex-employee measures have now been taken to ensure sanity. Subsequently half yearly returns have been uploaded in BAP.

निर्णय / Decision:

- 2.4 बीमा दलाल आवधिक विवरणियाँ बीमा दलाल के लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में उपर्युक्त विनियमों के विनियम 39(1) के अंतर्गत निर्धारित प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। सीआईबीएसपीएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही से वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही तक ये प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये। इस संबंध में दलाल के प्रस्तुतीकरणों और बीएपी में विवरणियाँ लोड करने के लिए किये गये उपायों पर ध्यान दिया गया। तथापि, दलाल को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त विनियमों में निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवधिक विवरणियाँ फाइल करने का ध्यान रखे और सावधानी बरते।

The insurance brokers shall file periodical returns with certificates prescribed under Regulation 39(1) of said regulations duly certified by the auditor of the Insurance Broker. CIBSPL did not file these certificates from second half year of FY 2019-20 till second half year FY 2020-21. In this regard, the submissions of the Broker and measures taken to upload the returns in BAP are noted. However, the Broker is hereby cautioned to exercise care and diligence in filing the periodical returns within the time prescribed in the said regulations.

3. आरोप / Charge 2:

आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39(2) का उल्लंघन

Violation of Reg. 39(2) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018

- 3.1 उपर्युक्त विनियमों के विनियम 39(2) के अनुसार, बीमा दलाल आवधिक विवरणियाँ प्राधिकरण की व्यवसाय विश्लेषण परियोजना (बीएपी) के अंतर्गत निर्धारित फार्मेटों / विवरणियों के अनुसार, निर्धारित समय के अंदर अनिवार्यतः फाइल करेंगे। पर्याप्त कारण के बिना 15 दिन से अधिक इस विनियम का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने पर इन विनियमों के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

As per regulation 39(2) of said regulations, the insurance brokers shall file periodical returns, without fail within the time specified, as per the formats/ returns prescribed under Authority's Business Analytical Project. Any failure to comply with this regulation without sufficient reason beyond 15 days shall attract penal action as specified under these regulations.



3.2 दलाल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही से वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही तक की अवधि के दौरान प्राधिकरण के बीएपी माड्यूल के अंतर्गत निर्धारित फार्मेटों / विवरणियों के अनुसार आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं।

The Broker has not submitted the periodical returns as per the formats/ returns prescribed under Authority's BAP module during second half year of FY 2019-20 to second half year of FY 2020-21.

दलाल का प्रस्तुतीकरण / Submission of the Broker:

3.3 सीआईबीएसपीएल ने प्रस्तुत किया कि बीएपी में तकनीकी ठहराव के कारण संबंधित कर्मचारी ने स्पष्ट किया कि वह विवरणियाँ फाइल नहीं कर सका तथा इसके स्क्रीन शाट प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप, इसकी सूचना प्राधिकरण को दी गई। दलाल ने अवगत कराया कि मेकर चेकर जैसे उपाय अब लागू किये गये हैं तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि आगे चलकर वे अधिक सतर्क रहेंगे।

CIBSPL submitted that due to technical glitch in BAP, the concerned employee explained that he was not able to file the returns and produced the screen shots of the same. Consequently, the same was intimated to the Authority. The Broker appraised that measures like maker checker has now been put in place and shall ensure that they would be more cautious moving forward.

निर्णय / Decision:

3.4 दलाल ने प्रस्तुतीकरण किया कि तकनीकी कारण से विवरणियाँ समय पर प्रस्तुत नहीं की गईं। अभिलेखों के अनुसार, सीआईबीएसपीएल ने आवधिक विवरणियाँ फाइल करते समय सामने आई तकनीकी समस्या पर बीएपी में घटना/ टिकट का पत्र नहीं उठाया। साथ ही, दलाल अनुभव की जा रही तकनीकी समस्याओं संबंधी पत्र-व्यवहार के विषय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

The Broker submitted that due to technical reason, the returns were not submitted in time. As per records, the CIBSPL did not raise incident / ticket in BAP on the technical issue being faced while filing periodic returns. Also, the Broker could not submit any evidence on correspondence related to technical issues being experienced.

3.5 सीआईबीएसपीएल ने पुष्टि की कि अब मेकर चेकर जैसे उपाय लागू किये गये हैं तथा यह कि आगे बढ़ते हुए वे अधिक सतर्क रहेंगे। लिये गये सुधारात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए, दलाल को चेतावनी दी जाती है कि विनिर्दिष्ट समय के अंदर आवधिक विवरणियाँ फाइल करना सुनिश्चित करे।

CIBSPL confirmed that measures like maker checker has now been put in place and that they would be more cautious moving forward. Considering the corrective measures taken, the Broker is cautioned to ensure filing of periodical returns within the time specified.

4. आरोप 3 / Charge 3:

आईआरडीआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39(3) का उल्लंघन





Violation of Reg. 39(3) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018

4.1 आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39(3) के अनुसार, प्राधिकरण को प्रस्तुत प्रमाणपत्रों में कोई भी झूठा या गलत प्रमाणीकरण या तथ्यों को छिपाने पर इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

As per regulation 39(3) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, any false or wrong certification or concealment of facts in the certificates submitted to Authority shall attract penal action as specified under these regulations.

4.2 ब्रोकर ने अपने ऑडिटर के लेटर हेड और हस्ताक्षर वाले हिस्से को पिछले जमा किए गए प्रमाणपत्रों (यानी अनुलग्नक I-ए दिनांक 31.10.2019) से काटा और चिपकाया है और वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही रिटर्न से लेकर वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही रिटर्न तक अपलोड किए गए अन्य सभी प्रमाणपत्रों में इसका उपयोग किया गया।

The Broker has cut and pasted the letter head and signature portion of its Auditor from previous submitted certificates (i.e. Annexure I-A dated 31.10.2019) and used the same across all other certificates uploaded for second half-yearly return of FY 2019-20 till second half-yearly return of FY 2020-21.

ब्रोकर का प्रस्तुतीकरण / Submission of the Broker:

4.3 सीआईबीएसपीएल ने प्रस्तुत किया कि आईआरडीएआई का पत्र दिनांक 27 अगस्त 2021 प्राप्त करने के बाद प्रबंधन ने स्पष्ट अनुभव किया कि यह प्रतीत होता है कि कंपनी के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों में कुछ त्रुटियाँ रही हैं तथा इस कारण से एक विस्तृत जाँच संचालित करने का निर्णय लिया गया। यह पाया गया कि एक कर्मचारी जो लाइसेंस के नवीकरण के लिए आईआरडीएआई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने सहित, परन्तु यहीं तक सीमित न होने के तौर पर आईआरडीएआई संबंधी अनुपालनों के लिए उत्तरदायी है, ने जल्दबाजी में असावधानीवश गलत और जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये थे।

CIBSPL has submitted that on receipt of IRDAI letter dated 27th August, 2021, the management realized that there appears to have been some error in the submissions made by the Company and therefore, decided to conduct a detailed enquiry. It was found that one employee, who was responsible for IRDAI compliances, including but not limited to making application before IRDAI for renewal of License, had inadvertently submitted wrong and forged documents in haste.

4.4 उक्त कर्मचारी के विरुद्ध दोनो सीए और उक्त संस्था के द्वारा 6 सितंबर 2021 को हैदराबाद पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। उक्त शिकायत की प्रतियाँ प्राधिकरण के साथ साझा की गई हैं। सीए द्वारा फाइल की गई शिकायत की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। दलाल ने इस संबंध में उक्त कर्मचारी की उपेक्षा और प्रबंधन की चूक के कारण हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया। दलाल ने प्राधिकरण को आश्वस्त किया कि ऐसी त्रुटियाँ भविष्य में घटित नहीं होंगी।

A police complaint has been lodged against the employee both by the CA and the organization in the Hyderabad police station on 6th September 2021. The copies of



the complaint have been shared with the Authority. The copy of the complaint filed by CA is also submitted. The Broker regretted the inconvenience caused due to the negligence of the employee and the oversight of the management in this regard. The Broker assured the Authority that such errors will not happen in the future.

- 4.5 दलाल ने एक असंतुष्ट कर्मचारी द्वारा किये गये कदाचार के ऐसे कार्य के लिए शर्त रहित क्षमायाचना की, जिसके लिए दलाल के द्वारा उपयुक्त कार्यवाही प्रारंभ की गई है। कदाचार का उक्त कृत्य, यदि कोई हो, कंपनी के अनुदेशों पर नहीं की गई थी, तथा कर्मचारी के अपने विवेक और अपनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छिपाने के कपटपूर्ण उद्देश्य से किया गया था। दलाल ने प्रस्तुत किया कि ऐसी परिस्थितियों में उक्त कदाचार के लिए संगठन को कारण के रूप में बिलकुल नहीं ठहराया जा सकता, जबकि उक्त धोखाधड़ी/कदाचार का कृत्य स्वीकृत रूप में कर्मचारी के द्वारा किया गया जो कंपनी के अनुदेशों के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा था।

The Broker tendered unconditional apologies for such an act of misconduct that has been committed by a disgruntled employee, for which appropriate proceedings were initiated by the Broker. The act of misconduct if any, was not undertaken on instructions of the Company and was done by an employee at his own discretion and with a fraudulent intent to hide his mishaps. The Broker submitted that in such circumstances, the misconduct is not at all attributable to the organization, when admittedly the fraud/misconduct is committed by Employee not acting under instructions of the Company.

निर्णय / Decision:

- 4.6 दलाल के उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण से यह प्रमाणित हुआ है कि दलाल ने प्राधिकरण को जाली सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39(3) के अंतर्गत घोर कदाचार है। तदुपरांत सीआईबीएसपीएल और सीए ने उक्त कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज की।

From the above submission of the Broker, it is established that Broker had submitted forged CA certificate to the Authority which amounts to grave misconduct under Reg. 39(3) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulation, 2018. Subsequently, CIBSPL and CA lodged the police complaint against the employee.

- 4.7 अभिलेखों के अनुसार, सीआईबीएसपीएल ने अनुबंध I-ए, अनुबंध I-बी, अनुबंध I-सी और अनुबंध I-डी दिनांक 25 अप्रैल 2020, 28 अक्टूबर 2020 और 26 अप्रैल 2021 के रूप में जाली प्रमाणपत्र फाइल किये हैं। यद्यपि दलाल ने दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की है, तथापि दलाल का उपर्युक्त कार्य दर्शाता है कि उसके पास उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं हैं। मात्र जाली दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए दंड आवश्यक होता है।

As per the records, CIBSPL filed the forged certificates as Annexure I-A, Annexure I-B, Annexure I-C and Annexure I-D dated 25th April, 2020, 28th October, 2020 and 26th





भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

April, 2021. Though the Broker has initiated action against the errant employee, the above act of the Broker shows that it does not have proper internal controls. Submission of forged documents itself warrants a penalty.

4.8 तदनुसार, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 (क) के अंतर्गत प्राधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जाली सीए प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण हेतु आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39(3) के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए इसके द्वारा उक्त दलाल पर रु. 3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये) का अर्थदंड लगाया जाता है।

Accordingly, in exercise of the powers vested upon the Authority under Section 102 (a) of the Insurance Act, 1938, a penalty of Rs. 3,00,000/- (Rupees Three Lakhs only) is hereby imposed on the Broker for violation of the provisions of Regulation 39(3) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 for submission of forged CA certificates.

निर्णयों का सारांश / Summary of Decisions:

इस आदेश में निर्णयों का सारांश निम्नलिखित है:

The following is the summary of decisions in this Order:

आरोप सं. Charge No.	आरोप का संक्षिप्त शीर्षक और उल्लंघन किये गये उपबंध Brief Title of charge and the provisions violated	निर्णय / Decision
1	प्राधिकरण को आवधिक विवरणियाँ फाइल न करने के लिए आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39(1) का उल्लंघन Violation of Reg. 39(1) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 for not-filing periodic returns to the Authority.	चेतावनी / Caution
2	प्राधिकरण की व्यवसाय विश्लेषण परियोजना (बीएपी) के अंतर्गत निर्धारित फार्मेटों/विवरणियों के अनुसार विनिर्दिष्ट समय के अंदर अनिवार्यतः आवधिक विवरणियाँ फाइल न करने के लिए आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39(2) का उल्लंघन Violation of Reg. 39(2) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 for not filing periodical returns, without fail within the time specified, as per the formats/ returns prescribed under Authority's Business Analytical Project	चेतावनी / Caution
3	झूठा अथवा गलत प्रमाणन प्रस्तुत करने अथवा प्राधिकरण को प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्रों में तथ्यों को छिपाने के लिए	रु. 3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये) का अर्थदंड Penalty of Rs.



आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 39(3) का उल्लंघन Violation of Reg. 39(3) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 for submitting false or wrong certification or concealment of facts in the certificates submitted to Authority.	3,00,000/- (Rupees Three Lakhs only)
---	--------------------------------------


निष्कर्ष / Conclusion:

5.1 आरोप 3 पर लिये गये निर्णय के आधार पर, तीन लाख रुपये का अर्थदंड उक्त बीमा दलाल के द्वारा इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि के अंदर एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से (जिसका विवरण अलग से सूचित किया जाएगा) विप्रेषित किया जाएगा। विप्रेषण की सूचना accounts@irdai.gov.in को दी जाए जिसकी एक प्रति brokers@irdai.gov.in को भी भेजी जाए। Based on the decision on charge 3, a penalty of Rupees Three Lakhs shall be remitted by the Insurance Broker within a period of 45 days from the date of receipt of this Order through NEFT/ RTGS (details for which will be communicated separately). An intimation of remittance may be sent to accounts@irdai.gov.in with a copy to brokers@irdai.gov.in

5.2 यह आदेश दलाल के बोर्ड के समक्ष आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा तथा दलाल कार्यवृत्त की एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
The Order shall be placed before the Board of the Broker in the upcoming Board meeting and the Broker shall submit a copy of the minutes to the Authority.

5.3 यदि दलाल इस आदेश में निहित उपर्युक्त निर्णयों से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।
If the Broker feels aggrieved by the above decisions in this Order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal as per Section 110 of the Insurance Act, 1938.

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad
दिनांक / Date: 10 नवंबर / November, 2023


(एस.एन. राजेस्वरी / S. N. Rajeswari)
सदस्य (वितरण) / Member (Distribution)